



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16012025-260264
CG-DL-E-16012025-260264

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 267]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 15, 2025/पौष 25, 1946

No. 267]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 15, 2025/PAUSHA 25, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2025

का.आ. 269(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1830 तारीख 26/04/2024, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-344BG "उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले में, दिल्ली-सहारनपुर-देहरादून (ग्राम-हलगोया) से शुरु (उत्तराखंड) जिले 334 के (ग्राम-अतमलपुर बोंगला) तक, 6-लेन के कि.मी. 19.060 से कि.मी.50.700 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "14 जून 2024 " को "शाह टाइम्स" और "टाइम्स ऑफ़ इंडिया " दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

उत्तराखण्ड राज्य के हरिद्वार जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-344BG (दिल्ली-सहारनपुर-देहरादून ग्रीनफील्ड परियोजना से हरिद्वार के लिए स्पर) के किमी. 19.060 से किमी. 50.700 तक के भू-खंड के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का विवरण।

राज्य का नाम: उत्तराखण्ड			जिले का नाम: हरिद्वार		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: रूड़की					
गांव का नाम: गोपालपुर					
1	123	निजी	कृषि	0.108	गंगा प्रसाद; अशोक कुमार पुत्रगण स्वर्गीय हुकम सिंह व मोहित कुमार पुत्र सुशील कुमार; प्रियंका पुत्री सुशील कुमार; मन्जू पत्नी स्वर्गीय सुशील कुमार; सुखबीर पुत्र फक्कड़; प्रमोद कुमार पुत्र पदम सिंह; संजीव कुमार पुत्र पदम सिंह; राजू पुत्र पदम सिंह; बुगली देवी पत्नी पदम सिंह; धर्मपाल पुत्र छोटा; रेखू हल्दिया उर्फ रेन्कू पुत्र रतीराम 123
तालुक का नाम: भगवानपुर					
गांव का नाम: बहेडेकी सैदाबाद					
2	747	निजी	कृषि	0.1397	राजपाल पुत्र कलीराम 747
3	819	निजी	कृषि	0.0663	शिवकुमार पुत्र राजबल; आशु पुत्र

					सुमंत, सुमन पत्नी सुमंत; सुभाष चंद पुत्र शंभू; सुमन त्यागी पत्नी अनिल त्यागी 819
4	820	निजी	कृषि	0.0539	ललित मोहन त्यागी व अमित मोहन पुत्र सत्यप्रकाश 820
5	953	निजी	कृषि	0.0147	अजय कुमार व अमित कुमार पुत्रगण उमेशचंद; कमोद बाला पत्नी उमेशचंद 953
6	963	निजी	कृषि	0.1155	ब्रजमोहन पुत्र सोमदत्त 963
7	982	निजी	कृषि	0.0198	जयप्रकाश पुत्र मीर सिंह नि० हरचंदपुर माजरा 982
Total				0.5179	

[फा. सं. NHAI/PIU-RRK/66001/BM/Spur Haridwar (DPR)/2021/3D]

अभय जैन, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th January, 2025

S.O. 269(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, 1830 Dated:26/04/2024 , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 344BG "Development of six lane access control spur to Haridwar starting at its junction with Delhi-Saharanpur-Dehradun Ecnomic Corridor (Vill.-Halgoya) in Saharanpur (UP) and terminating on NH-334 (Old NH-58) in Bahadrabad bypass (Vill.-Atmalpur Bongla) in District Haridwar (Uttarakhand) in the state of Uttar Pradesh & Uttarakhand under Bharatmala Pariyojana" in the stretch of land from Km. 19.060 to Km. 50.700 in the district of HARIDWAR in the state of UTTARAKHAND

And whereas the substance of the said notification has been published in "Shah Times" and "Times of India" both dated 24 Jun, 2024 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 19.060 to Km. 50.700 of National Highway No. 344BG (Spur to Haridwar from Delhi-Saharanpur-Dehradun Greefield project) in the district of Haridwar in the state of Uttarakhand.

State: UTTARAKHAND			District: HARIDWAR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Roorkee					
Village: Gopalpur					
1	123	Private	Agriculture	0.108	Ganga Prasad; Ashok Kumar son Hukam Singh and Mohit Kumar son Sushil Kumar; Priyanka daughter Sushil Kumar; Manju wife Sushil Kumar; Sukhbir son Fakkad; Pramod Kumar son Padam Singh; Sanjeev Kumar son Padam Singh; Raju son Padam Singh; Bugli Devi wife Padam Singh; Dharampal son Chota; Rekhu Haldiya urf Renku son Ratiram 123
Taluk: Bhagwanpur					
Village: Behedeki Saidabad					
2	747	Private	Agriculture	0.1397	Rajpal Son Kaliram 747
3	819	Private	Agriculture	0.0663	Shivkumar son Rajbal; Ashu son Sumant, Suman wife Sumant; Subhash Chand son Shambhu; Suman Tyagi wife Anil Tyagi 819
4	820	Private	Agriculture	0.0539	Lalit Mohan Tyagi and Amit Mohan Son Satyaprakash 820
5	953	Private	Agriculture	0.0147	Ajay Kumar; Amit Kumar son Umeshchand; Kamod Bala Wife

					Umeshchand 953
6	963	Private	Agriculture	0.1155	Brijmohan son Somdutt 963
7	982	Private	Agriculture	0.0198	Jai Prakash s/o Meer Singh r/o Harchandpur Mazra 982
Total				0.5179	

[F. No. NHAI/PIU-RRK/66001/BM/Spur Haridwar (DPR)/2021/3D]

ABHAY JAIN, Director